

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

आप0 प्रकरण क्र0-577/11

संस्थित दिनांक 03.08.2011

F.No.234503000622011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,

जिला बालाघाट म0प्र0।

.....अभियोजन।

विरुद्ध

तोसिफ उर्फ बबलू पिता हनीफ खान, उम्र-28 साल,

निवासी बिरसा थाना बिरसा जिला बालाघाट (म0प्र0)।अभियुक्त।

-:: निर्णय ::-

-:: दिनांक **15/01/2018** को घोषित ::-

01. अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 भा0दं0सं0 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-66/192 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 12.06.2011 को समय 10:30 बजे स्थान संम्भूसिंह मरावी के घर के सामने अजगरा आरक्षित केन्द्र बिरसा के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम. पी.04/जी.ए.-3296 पिकअप को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को पलटाकर उसमें बैठे कमलेश, शंकर, रविकुमार, कलेश्वरबाई, बबलू विनायक, भादू उइके, मीना, भरतलाल, पीरूमतीबाई को साधारण उपहति एवं गौतरिनबाई एवं गजानंद को घोर उपहति कारित कर उक्त वाहन को बिना परमिट के चलाया।

02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी चंद्रपाल राहंगडाले ने दिनांक 12.06.2011 को थाना में हाजिर होकर रिपोर्ट लेख कराया है कि वाहन पिकअप क्रमांक एम.पी.04/जी.ए.-3296 के चालक तोसिफ खान ने जो दमोह बाजार जा रहा था वाहन को तेजगति लापरवाहीपूर्वक चलाकर अजगरा से सरईटोला के बीच एक महिला को ठोस मारकर वाहन को सरईटोला के पास पलटा दिया जिसमें बैठे चौदह व्यक्तियों को चोटे आई हैं। की रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान अपराध सबूत पाये जाने पर अभियुक्त तोसिफ खान को गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया एवं मामले में आहत गौतरिनबाई एवं

गजानंद को गंभीर चोट होने से मामले में धारा 338 भा0दं0सं0 का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत यह अभियोग पत्र क्रमांक 74/11 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. अभियुक्त को अपराध विवरण की विशिष्टियाँ पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उन्होंने अपराध किया जाना अस्वीकार किया है। आरोपी का विचारण किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन साक्षीगण द्वारा प्रकट किये गये तथ्यों एवं परिस्थितियों को अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण कथन अंतर्गत धारा-313 जा0फौ0 में अस्वीकार किया है। प्रतिरक्षा में प्रवेश कराये जाने पर उसका बचाव है कि वह निर्दोश है, उसे मामले में झूठा फसाया गया है। उसने बचाव में साक्ष्य नहीं दिया है।

04. प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.06.2011 को समय 10:30 बजे स्थान संम्भूसिंह मरावी के घर के सामने अजगरा आरक्षित केन्द्र बिरसा के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी.04/जी.ए.-3296 पिकअप को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय स्थान पर उक्त वाहन को लोकमार्ग पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर उक्त वाहन को पलटाकर उसमें बैठे कमलेश, शंकर, रविकुमार, कलेश्वरबाई, बबलू विनायक, भादू उइके, मीना, भरतलाल, पीरूमतीबाई को साधारण उपहति कारित किया ?
3. क्या अभियुक्त ने दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को लोकमार्ग पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर उक्त वाहन को उलटाकर उसमें बैठे आहत गौतरिनबाई एवं गजानंद को घोर उपहति कारित किया ?
4. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को लोकमार्ग पर बिना परमिट के चलाया ?

—: सकारण निष्कर्ष :—

विचारणीय प्रश्न क.01 से 03

नोट—विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 03 परस्पर संबंधित होने से साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो तथा सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

05— साक्षी चंद्रपाल रहांगडाले अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह तौसीफ खान को जानता है, जो घटना के समय वाहन का ड्राईवर था। घटना उसके कथन देने से करीब दो वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत अजगरा की है। घटना के समय वह ग्राम पंचायत अजगरा में उप सरपंच के पद पर पदस्थ था। घटना दिनांक को ग्राम अजगरा से दमोह जाने वाले मार्ग पर पिकप वाहन पलट गया था, जिसमें लगभग 15 लोग बैठे थे। सूचना पर वह घटनास्थल पर गया था, जहाँ पर उसने पिकप में 15 लोग बैठे थे उनकी चोट देखी थी और एक महिला जो साईड से गई थी, जिसे पिकप वाहन के ड्राईवर ने टक्कर मार दी थी और उसे चोट आई थी। उसके द्वारा आहत को पानी पिलाया गया और सभी आहतगण को बिरसा शासकीय अस्पताल भेजा गया था। उसे पिकप वाहन का नंबर याद नहीं है। उस समय आरोपी पिकप वाहन को चला रहा था, जो घटनास्थल पर उपस्थित था और उसके द्वारा भीड़ के द्वारा मारने से रोका गया था। दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई, वह नहीं बता सकता। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बिरसा में की थी जो प्रपी.1 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी-नक्शा प्रपी.2 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी।

06— साक्षी चंद्रपाल रहांगडाले अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने पिकप वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाकर गौतरिनबाई को ठोर मार दिया था और खुद अपने वाहन को पलटा दिया था, उसने पुलिस रिपोर्ट लिखाते समय पिकप वाहन का नंबर एम.पी.04जी.ए.3296 लिखाया था, घटना के काफी समय होने से उसे पिकप वाहन का नंबर याद नहीं है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा रिपोर्ट में आरोपी के द्वारा तेजी और लापरवाही से वाहन को

F.No.234503000622011

चलाकर गौतरीनबाई को टक्कर मारना और फिर पलटा देने वाली बात बताई थी, घटना पुरानी होने के कारण उसे पूरी-पूरी बात ध्यान न होने के कारण वह तेज और लापरवाही से चलाने की बात नहीं बता पा रहा है, आरोपी से मिलकर उसे बचाने के लिए वह झूठा कथन कर रहा है। उसके सामने पुलिस ने घटनास्थल से उक्त पिकप वाहन को जप्त किया था और जप्ती पंचनामा प्रपी. 03 बनाया गया था, जिनके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय उक्त पिकप को कौन चला रहा था उसने नहीं देखा था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को दिये गये कथन तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह नहीं बताया था कि घटना के समय आरोपी उक्त पिकप को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। साक्षी के कथन अनुसार घटना होते समय वह मौके पर नहीं था।

07— साक्षी खेलसिंह मरावी अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है, क्योंकि घटना के समय उसने आरोपी को गाड़ी से निकाला था। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब दो वर्ष पूर्व ग्राम अजगरा की है। घटना दिनांक को पिकप वाहन सवारी लेकर दमोह बाजार जा रही थी। उक्त पिकप वाहन के पीछे वह अपनी मोटर सायकिल से दमोह बाजार था रहा था। गौतरीनबाई अपने घर से निकल कर अपनी साईड से जा रही थी, तभी पिकप वाहन ने उसको ठोस मार दिया। पिकप वाहन ने अपनी पटरी छोड़ दिया था। उक्त पिकप वाहन को आरोपी चला रहा था। उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही से हुई थी, क्योंकि गौतरीनबाई अपी साईड से जा रही थी और पिकप वाहन ने उसे टक्कर मारा था। उक्त पिकप वाहन में करीब 15 लोग बैठे थे, उस समय उसने उक्त पिकप वाहन का नंबर देखा था, जो पुलिस को बता दिया था, किन्तु उक्त नंबर उसे याद नहीं है।

08— साक्षी खेलसिंह मरावी अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा कि वह उक्त पिकप वाहन से एक फर्लांग दूरी पर था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह अपनी मोटर सायकिल पर था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया

है कि उसके सामने चल रहे पिकप वाहन के सामने कौन चल रहा था उसे नहीं दिख रहा था, पिकप सामान्य गति से चल रहा था। साक्षी के अनुसार पिकप वाहन करीब 75 की स्पीड से चल रहा था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उक्त पिकप वाहन जिस सामान्य गति से चलना चाहिए, उसी गति से चल रहा था, गौतरीनबाई तेजी से अपने घर से निकलकर रोड में आ गयी थी और उसी को बचाने के लिये ड्राइवर ने अपने वाहन को ब्रेक मारा था, गौतरीनबाई की गलती से दुर्घटना हुई, वह गाड़ी के पीछे होने के कारण पिकप कौन चला रहा था नहीं देख पाया, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को बयान दिया था।

09— साक्षी खेलसिंह मरावी अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण यह अस्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस बयान में ड्राइवर गाड़ी को पलटाकर भाग गया वाली बात बताई थी, यदि उक्त प्र.डी.1 में लिखा हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि गौतरीनबाई अपने साईड से जा रही थी उक्त बात उसने पुलिस कथन में नहीं बताया था, पहली बार बता रहा है। गौतरीनबाई उसके भाई की बहू है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि गौतरीनबाई उसकी रिश्तेदार होने के कारण वह उसकी गलती न बताकर ड्राइवर की गलती बता रहा है। उसकी मोटर सायकिल लगभग 30 की गति से थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी मोटर सायकिल और पिकप वाहन में बराबर दूरी बनी हुई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि गौतरीनबाई को बचाने के एवज में ही उक्त पिकप वाहन पलटी थी।

10— साक्षी महेश मरावी अ.सा.03 ने कथन किया है कि उसके न्यायालयीन कथन से करीब दो वर्ष पूर्व बिरसा पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल से एक पिकप वाहन जिस पर "श्री सदगुरु ट्रांसपोर्ट बिरसा बालाघाट" लिखा था जप्ती पत्रक प्रपी.3 के अनुसार जप्त किया था, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने जप्ती पंचनामा प्रपी.3 पर हस्ताक्षर थाना बिरसा में किये थे। उसने उक्त पंचनामे को बनने के बाद पढ़कर देखा था।

11— साक्षी शम्भूसिंह अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आहत गौतरिनबाई को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब दो वर्ष पूर्व की है। उस समय वह अपने घर की परछी में था, तब एक पिकप वाहन जो मानेगांव से दमोह तरफ जा रहा था, तब गौतरिनबाई उसके घर की ओर अपने साईड से आ रही थी, तब पिकप के ड्राइवर ने उक्त वाहन को काटा तो पिकप का पीछे का पल्ला गौतरिनबाई के सिर पर लगा, जिससे गौतरिनबाई गिर गई। पिकप में 10-12 लोग बैठे थे। पिकप पलट गई थी, जिससे उसमें बैठे 4-5 लोगों को भी चोटें आई थी। उसके देखने में पिकप के ड्राइवर की गलती नजर आ रही थी। पिकप का ड्राइवर पिकप को दो-तीन जगह लहराता हुआ चलाकर लाया था, वहाँ पर पिकप पलटते-पलटते बची थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वाहन पलटने की आवाज सुनकर वह घर से बाहर निकला था और गौतरिनबाई को कैसे लगी, वह नहीं बता सकता।

12— साक्षी राधेश्याम अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपी तौसिफ खान को पहचानता है। उसके सामने आरोपी से थाना बिरसा में जप्ती पत्रक प्रपी.4 के अनुसार ड्रायविंग लायसेंस एवं वाहन के दस्तावेज रजिस्ट्रेशन, फिटनेश, इंश्योरेन्स जप्त हुए थे। जप्ती पत्रक प्रपी.4 के ए से ए भाग में उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी की गिरफ्तारी किये जाने की कार्यवाही की थी। गिरफ्तारी पत्रक प्रपी.5 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्र.पी.5 पर उसने पुलिस थाना बिरसा में हस्ताक्षर किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रपी.5 पर क्या लिखा था उसने पढ़कर नहीं देखा था, किन्तु सही है कि जप्ती पत्रक प्रपी.4 पर उसने थाने में हस्ताक्षर किये थे।

13— साक्षी बबलू विनायक अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो-तीन वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को वह पिकप वाहन में बैठकर मरारीटोला से दमोह जा रहा था। उक्त पिकअप वाहन को आरोपी तौसिफ खान चला रहा था, जैसे ही उनका पिकप वाहन अजगरा से आगे गया

तो वाहन पलट गया था। वह नहीं बता सकता कि उक्त वाहन किसकी गलती से पलटा, क्योंकि वह पीछे बैठा था। उक्त दुर्घटना में उसे दाहिने हाथ की कलाई में चोट आई थी। उसकी चिकित्सीय परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में हुआ था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी ने घटना दिनांक को अजगरा से आगे सरईटोला के पास एक महिला को ठोस मारा था, तभी गाड़ी अनबेलेन्स होकर पलट गई थी, उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही के कारण घटित हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रपी.5 पर उसने पुलिस थाना बिरसा में हस्ताक्षर किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रपी.5 पर क्या लिखा था उसने पढ़कर नहीं देखा था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्रपी.4 पर उसने थाने में हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रपी.6 के अ से अ भाग का कथन दिया था तथा वह आरोपी से मिल गया है और उसे बचाने के लिए झूठे कथन कर रहा है।

14— साक्षी कमलेश अ.सा.07 ने कथन किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो-तीन वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को वह मरारीटोला से दमोह जा रहा था, जिसे न्यायालय में हाजिर आरोपी तौसिफ खान चला रहा था। जैसे ही उनका पिकप वाहन अजगरा के आगे गया तो रोड पर पलट गया था। वाहन कैसे पलटा इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। उक्त दुर्घटना में उसे बांये कंधे पर चोट आई थी। उसका ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में हुआ। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी ने अपने पिकप वाहन से सरईटोला के पास एक महिला को टक्कर मारी थी, आरोपी ने उसी समय वाहन को तेज गति से आगे बढ़ाया था, तभी गाड़ी अनबेलेन्स होकर पलट गई थी, उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही के कारण घटित हुई थी, रोड खराब नहीं थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उक्त स्थान पर यदि कोई व्यक्ति सावधानी से गाड़ी चलाता तो दुर्घटना नहीं घटित होती। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी पिकप वाहन को सावधानी से नहीं चला रहा था, पुलिस को उसने प्रपी.7 का कथन दिया था।

15— साक्षी भादू अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो-ढाई साल पहले की है। वह पिकप वाहन से बाजार जा रहा था, जिसमें 7-8 लोग बैठे थे, जिसमें कुछ महिलायें थी। पिकप वाहन के चालक ने वाहन को तेज गति से चलाते हुये पलटा दिया था। उक्त घटना में उसके हाथ की हथेली और पैर पर चोट आयी थी। उसका ईलाज बिरसा में हुआ था तथा बाद में बैहर अस्पताल में एक्स-रे करवाने आया था। उक्त दुर्घटना में अन्य लोगों को भी चोट आयी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त दुर्घटना में अन्य लोगों को भी चोट आयी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त दुर्घटना पिकप वाहन के चालक की गलती से हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना कैसे घटित हुई, इसकी उसे जानकारी नहीं है, पिकप वाहन में कौन-कौन लोग बैठे थे, इसकी भी उसे जानकारी नहीं है, पिकप वाहन 20-30 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, उक्त दुर्घटना में किस-किस व्यक्ति को चोट आयी थी, उसे जानकारी नहीं है, पिकप वाहन वाले की लापरवाही से उक्त दुर्घटना घटित नहीं हुई थी।

16— साक्षी झनक उर्फ घनत अ.सा.09 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 3-4 वर्ष पुरानी दिन के लगभग 10-12 बजे ग्राम अजगरा के आगे रोड की है। उक्त दिनांक को वाहन में बैठकर दमोह बाजार जा रहा था, जिसे उक्त समय कौन वाहन को चला रहा था वह नहीं देखा था। उक्त पीकप वाहन अजगरा के आगे पलट गया था। उक्त वाहन कैसे पलटा उसे जानकारी नहीं है। उक्त दुर्घटना में कमर और सिर पर चोट लगी थी। दुर्घटना के पश्चात् वह बेहोश हो गया था। उसे ध्यान नहीं है कि पुलिस ने बयान ली थी या नहीं। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को दुर्घटना के समय वाहन आरोपी तौसिफ उर्फ बब्लू चला रहा था, आरोपी ने पिकप वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चला कर पलटा दिया था। साक्षी के कथन अनुसार जिस व्यक्ति को कम चोट लगी होगी उसने चालक को देखा होगा। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को

F.No.234503000622011

प्रपी.8 का कथन दिया था, वह आरोपी से मिल गया है, इसलिए आरोपी के द्वारा घटना के समय वाहन चलाने वाली बात एवं पुलिस को बयान देने वाली बात को छुपा रहा है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि शासकीय अस्पताल बिरसा में उसका ईलाज किया था, यदि वाहन को सावधानीपूर्वक चलाता तो उक्त दुर्घटना नहीं होती।

17— साक्षी गौतरिनबाई अ.सा.11 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग पांच साल पूर्व ग्राम अजगरा में दिन के ग्यारह बजे की है। वह अपनी साईड से जा रही थी, तभी एक पिकप वाहन आई और उसे पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे वह बेहोश हो गयी थी। उसे सिर पर चोट आयी थी एवं टाके लगे थे। उसका ईलाज मलाजखण्ड अस्पताल में हुआ था। उसे टक्कर मारने के बाद गाड़ी आगे जाकर पलट गयी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

18— साक्षी गौतरिनबाई अ.सा.11 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को साढ़े दस बजे वह अपने बच्चे को लेने शम्भूसिंह मरावी के यहाँ जा रही थी, अजगरा तरफ से पिकप वाहन आते देख वह अपने साईड में खड़ी हो गयी थी, आरोपी पिकप वाहन के ड्राईवर ने अपनी गाड़ी को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक लाकर उसे ठोस मार दिया था और दस कदम पर जाकर वाहन पलटा दिया था, वाहन में बैठे दस-पंद्रह आदमी गिर गये थे, तभी गांव का उप सरपंच चंद्रपाल राहंगडाले आया और सभी আহত को गाड़ी में बैठाकर बारी-बारी से अस्पताल पहुँचाया था, ठोस मारने से उसे सिर पर कान के पीछे और हाथ-पांव पर लगा था, उसके पति ने उसका ईलाज मलाजखण्ड अस्पताल में करवाया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसे गाड़ी का नंबर याद नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि ड्राईवर गाड़ी पलटाकर भाग गया था। आरोपी तौसिफ खान ग्राम बिरसा का रहने वाला है।

19— साक्षी गौतरिनबाई अ.सा.11 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों

को स्वीकार किया है कि उसने वाहन को आरोपी कैसे चलाते हुए ला रहा था नहीं देखी है, उसे पीछे से टक्कर लगी थी इसलिए वाहन कौन चला रहा था नहीं बता सकती, वह चोट लगने के बाद बेहोश हो गयी थी, इसलिये उसने नहीं देखा कि वाहन दस-पंद्रह कदम दूर जाकर पलट गया था, वह बेहोश हो गयी थी इसलिए नहीं बता सकती कि उक्त वाहन में कितने लोग बैठे हुए थे, वह बेहोश हो गयी थी, इसलिए नहीं बता सकती कि चंद्रपाल राहंगडाले आहतगण को अस्पताल लेकर गया था।

20— साक्षी मीनाबाई अ.सा.12 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग पांच साल पूर्व ग्राम अजगरा की है। वह वाहन में बैठकर बाजार जा रही थी। उस वाहन में अन्य लोग भी बैठे हुए थे। उक्त वाहन का चालक ग्राम बिरसा का रहने वाला था। अपने वाहन को चलाते हुए लाया और साईड में खड़ी गौतरिनबाई को टक्कर मार दिया था और आगे जाकर वाहन को पलटा दिया था। उसे पसली पर, सिर और कमर, पांव में चोटें आयी थी। उसे अभी भी पसली में दर्द होता है सिर पर टांके लगे थे। उसका ईलाज बिरसा अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसे ईलाज हेतु उप सरपंच ने गाड़ी से बिरसा लेकर गया था।

21— साक्षी मीनाबाई अ.सा.12 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को तौफिक खान बिरसा का रहने वाला व्यक्ति चला रहा था, अजगरा के पास ड्राईवर ने अपने वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाकर पलटा दिया था, आरोपी पलटाने के बाद भाग गया था, उस वाहन में बैठे अन्य लोगों को भी चोटें आयी थी, आरोपी तौसिफ खान ने अपने वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की, यदि वह अपने वाहन को धीरे चलाता तो उक्त घटना घटित नहीं होती।

22— साक्षी मीनाबाई अ.सा.12 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को

स्वीकार किया है कि वह वाहन में पीछे बैठी थी, वह पीछे बैठे थी इसलिए उसने नहीं देखा कि उक्त वाहन को कौन चला रहा था, वह पीछे बैठी थी इसलिए एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखी है, उसे ज्यादा चोट लगी थी और वह बेहोश हो गयी थी, वह पीछे बैठी थी, इसलिए नहीं बता सकती कि आरोपी लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चला रहा था। साक्षी के अनुसार गाड़ी लहराते हुए चला रहा था और लापरवाही से गाड़ी गिरा दिया था, उसने गौतरिनबाई को ठोस मारते नहीं देखा था। साक्षी के अनुसार गौतरिनबाई को ठोस मारते हुए गाड़ी पलटा दिया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आरोपी लापरवाहीपूर्वक गाड़ी नहीं चला रहा था तथा आरोपी ने अजगरा में कोई गाड़ी नहीं पलटाया था।

23— साक्षी रविन्द्र कुमार चौहान अ.सा.14 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से पांच से छः साल पूर्व सुबह के समय दस-ग्यारह बजे की है। वह मनोज निमजे के वाहन पिकप गाड़ी से बिरसा से दमोह बाजार गया था। उक्त वाहन को तोसिफ उर्फ बब्लू चला रहा था, उसने गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाकर अचानक ब्रेक लगाकर पलटा दिया था। गाड़ी अजगरा के पास पलट गयी थी। उसमें तेईस-चौबीस लोग बैठे थे उसे एवं अन्य सभी लोगों को चोटें आयी थी। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसे टुड्डी एवं हाथ की कलाई पर चोट आयी थी। उसका मुलाहिजा बिरसा अस्पताल में हुआ था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी द्वारा घटना दिनांक को अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर अजगरा के पास गाड़ी को पलटा दिया था, जिससे उसे चोट आयी थी, घटना में आरोपी तोसिफ उर्फ बब्लू की गलती थी।

24— साक्षी रविन्द्र कुमार चौहान अ.सा.14 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि वह बिरसा होते हुए दमोह बाजार नहीं जा रहा था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि वह मानेगांव से अजगरा होते हुए दमोह बाजार जा रहा था, उस दिन ऐसा नहीं हुआ था कि गाड़ी में सवार लोगों के अलावा किसी अन्य को गाड़ी से चोट लगी हो और वाहन पलटा हो। साक्षी ने इन

सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह उस घटनाग्रस्त वाहन में सवार नहीं था, वह आरोपी को उक्त वाहन चलाते हुए नहीं देखा था, आरोपी वाहन को तेज रफ्तार एवं लापरवाही से नहीं चला रहा था, उसने तेज गति से वाहन का ब्रेक नहीं मारा था, जिससे गाड़ी पलटी थी। साक्षी के कथन अनुसार ब्रेक मारा था, जिससे गाड़ी पलटी थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि ग्राम अजगरा के पास ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।

25— साक्षी इंदिराबाई अ.सा.17 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानती। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब 5-6 साल पूर्व ग्राम अजगरा के पास दिन के लगभग 11:00 बजे की है। घटना के समय बिरसा वाले की पीकअप गाड़ी से ग्राम अजगरा से दमोह बाजार जा रही थी, उसके साथ गांव के अन्य लोग भी थे। ग्राम अजगरा के आगे गाड़ी पलट गई, जिससे उसमें सवार लोगों को चोटें आई थी। उसे कंधे, हाथ एवं कमर में चोटें आई थी। उसका ईलाज बिरसा अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। घटना किसकी गलती से हुई थी वह नहीं बता सकती। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि गाड़ी को बिरसा का मुसलमान लड़का लापरवाही से चला रहा था तथा गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी, ड्राइवर को लोगों ने धीरे चलाने को बोला, परंतु वह नहीं माना और एक महिला को ठोस मारकर गाड़ी पलटा दिया। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.26 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है इसलिये वह आज न्यायालय में झूठे कथन कर रही है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह वाहन में पीछे बैठी थी, इसलिये वाहन कौन चला रहा था वह नहीं बता सकती, वाहन को ड्राइवर कैसे चला रहा था उसने नहीं देखा, वह बेहोश हो गई थी इसलिये नहीं बता सकती कि दुर्घटना कैसे हुई थी, उसने पुलिस को आरोपी की गलती से दुर्घटना होने वाली बात नहीं बताई थी।

26— साक्षी कलेश्वरीबाई अ.सा.18 ने कथन किया है कि वह आरोपी

को नहीं जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब 5-6 साल पूर्व ग्राम अजगरा के पास दिन के लगभग 11:00 बजे की है। घटना के समय बिरसा वाले की पीकअप गाड़ी से ग्राम अजगरा से दमोह बाजार जा रही थी, उसके साथ गांव के अन्य लोग भी थे। ग्राम अजगरा के आगे गाड़ी पलट गई, जिससे उसमें सवार लोगों को चोटें आई थी। उसे कंधे, हाथ एवं कमर में चोटें आई थी। उसका ईलाज बिरसा अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। घटना किसकी गलती से हुई थी वह नहीं बता सकती। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि गाड़ी को बिरसा का मुसलमान लड़का लापरवाही से चला रहा था तथा गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी, ड्राइवर को लोगों ने धीरे चलाने को बोला, परंतु वह नहीं माना और एक महिला को ठोस मारकर गाड़ी पलटा दिया। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.27 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है इसलिये वह आज न्यायालय में झूठे कथन कर रही है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह वाहन में पीछे बैठी थी, इसलिये वाहन कौन चला रहा था वह नहीं बता सकती, वाहन को ड्राइवर कैसे चला रहा था उसने नहीं देखा, वह बेहोश हो गई थी इसलिये नहीं बता सकती कि दुर्घटना कैसे हुई थी, उसने पुलिस को आरोपी की गलती से दुर्घटना होने वाली बात नहीं बताई थी।

27— साक्षी तरुण अ.सा.19 ने कहा है कि वह दिनांक 18.06.2011 को थाना बिरसा में जप्तशुदा वाहन पीकप क्रमांक एम.पी.04जी.ए.3296 का परीक्षण किया था, परीक्षण पर उसने वाहन के सामने का कांच, ड्राइवर ग्लास तथा इंडीकेटर टूटे हुए, बोनट पर स्क्रैच, डाला तथा बॉडी पिचकी हुई एवं क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, चेचिस, हेडलाईट, गियर ठीक और इंजन सीज़ तथा स्टेरिंग फ्री पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.28 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि यदि किसी वाहन का स्टेरिंग फ्री हो जाए तो वह नियंत्रण से बाहर हो जाती है, इंजन सीज़ हो जाने के बाद गाड़ी बंद हो जाती है, स्टेरिंग फ्री जो जोन के

F.No.234503000622011

बाद कोई भी ड्रायवर गाड़ी को नियंत्रित नहीं कर पाता है, उसने जिस वाहन का परीक्षण किया था, उसका स्टेरिंग फ्री हो गया था, इसलिये उक्त वाहन स्टेरिंग फेल हो जाने से अनियंत्रित होकर पलट गया था, इंजन सीज़ होने के बाद वाहन के पाटर्स कार्य नहीं करते हैं, इंजन सीज़ होने के बाद ब्रेक एवं स्टेरिंग काम नहीं करते हैं, इंजन सीज़ होने पर गाड़ी का ब्रेक कार्य करना बंद कर देता है, ब्रेक इंजन फेल होने पर इसलिये कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि ब्रेक पॉवर ब्रेक है, इस वाहन में भी इंजन सीज़ होने के बाद ब्रेक ने कार्य करना बंद कर दिया था और ब्रेक फेल हो गये थे।

28— साक्षी डॉ० सुनील सिंह अ.सा.10 ने कथन किया है कि वह दिनांक 12.06.11 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दमोह में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा से आरक्षक लखन भिमटे नम्बर 173 एवं राजेश सनोडिया क्रमांक 59 द्वारा आहतगण को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। आहत झनक कावरे उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। आहत व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई भी चोटें शरीर पर नहीं पायी गयी थी। उक्त दिनांक को आहत कमलेश विनायक का चिकित्सीय परीक्षण करने पर उसके शरीर में दो चोटें पाई गई थी, जिसमें चोट क्रमांक-01 बांये तरफ के कंधे पर मौजूद थी तथा चोट क्रमांक-2 बांये हाथ की कोहनी पर थी। उक्त चोटें सामान्य प्रकृति की थी। शरीर पर चोट लगी थी, जो 05-07 दिन में ठीक होना प्रतीत होती थी। बांये हाथ के कंधे और सोल्डर में जो चोट लगी थी, उसमें सूजन थी, जिस हेतु उसने एक्स-रे हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट भेजा था।

29— साक्षी डॉ० सुनील सिंह अ.सा.10 के अनुसार उक्त दिनांक को आहत शंकर को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था। आहत व्यक्ति को निम्न प्रकार की चोटें पाई गई थी, चोट क्रमांक-01 लेसरेटेड वुंड थी, मुँह के नीचला ओंठ, कटा एवं फट गया था, जिससे रक्त-स्राव हो रहा था। चोट क्रमांक-2 नाक कटा हुआ था, जिसमें से रक्त-स्राव हो रहा था। चोट क्रमांक-03 सिर के दाहिने तरफ कटा हुआ था, जिसमें मल्टीपल कई जगह

F.No.234503000622011

कटे हुए और चोट के निशान थे। लगी हुई चोट से प्रतीत होता था कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से लगना प्रतीत होता है। चोट सामान्य प्रकृति की थी। चोट ठीक होने से 7-10 दिन का समय लग सकता था। उक्त आहत को एक्स-रे हेतु जिला बालाघाट भेजा गया था। उक्त दिनांक को भागवतीबाई का चिकित्सीय परीक्षण करने पर उक्त आहत के शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं पाई गई थी।

30— साक्षी डॉ० सुनीलसिंह अ.सा.10 के अनुसार उक्त दिनांक को आहत रविकुमार का चिकित्सीय परीक्षण करने पर निम्न चोटें पाई थी। चोट क्रमांक-01 पर मल्टीपल चोटें कई जगह थी, जिसमें से रक्त स्त्राव हो रहा था। चोट क्रमांक-2 बायें हाथ की कलाई पर सिर्फ सूजन थी, उक्त सभी चोटें कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। इंजुरी सामान्य प्रकृति की थी। चोट भरने में 10-15 दिन का समय लग सकता था। उक्त आहत को भी एक्स-रे हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट भेजा गया था। उक्त दिनांक को कलेश्वरबाई का परीक्षण करने पर निम्न चोटें पायी थी, चोट क्रमांक 01-सिर के दाहिने तरफ गहरी चोट लगी हुई थी। चोट क्रमांक 2-सिर के दाहिने तरफ का कान कटा हुआ था, जिससे रक्त स्त्राव हो रहा था। चोट क्रमांक 3- हाथ के बांये तरफ की कलाई पर चोट लगी हुई थी, जिससे रक्त स्त्राव हो रहा था। आहत व्यक्ति को लगी चोटें कठोर एवं बोथरी वस्तु से लगना प्रतीत होती थी, इंजुरी साधारण प्रकृति की थी, लगी हुई चोटों पर घाव भरने में 7-10 दिन का समय लग सकता है।

31— साक्षी डॉ० सुनीलसिंह अ.सा.10 के अनुसार उक्त दिनांक को आहत इंद्राबाई का परीक्षण करने पर आहत के शरीर में किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं पायी गयी थी। उक्त दिनांक को ही आहत गनेशीबाई का परीक्षण करने पर आहत के शरीर पर किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पायी गयी थी। उक्त दिनांक को ही आहत बब्लू विनायक का परीक्षण करने पर निम्न चोटें पायी थी, चोट क्रमांक 01-एब्रेजन जो कि बांये हाथ की कलाई पर लगा हुआ था, जिससे रक्त स्त्राव हो रहा था। चोट क्रमांक 02-कंट्यूजन जो कि

दाहिने हाथ के कंधे पर लगा हुआ था। चोट क्रमांक 03—दाहिने हाथ की कलाई में लगी हुई चोट में सूजन थी। उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी। लगी हुई चोट में घाव भरने में 5-7 दिन का समय लग सकता था, आहत व्यक्ति को एक्स-रे हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट भेजा गया था।

32— साक्षी डॉ० सुनील सिंह अ.सा.10 के अनुसार उक्त दिनांक को आहत भादू का परीक्षण करने पर निम्न चोटें पायी गयी थी, चोट क्रमांक 01—लेसरेटेड वुंड जो कि दाहिने हाथ के अंगुठे पर पायी गयी थी, जिससे रक्त स्राव हो रहा था। चोट क्रमांक 02—एब्रेजन जो कि दाहिने हाथ की कलाई पर मौजूद थी। चोट क्रमांक 03—बायें हाथ की कोहनी पर लगी हुई चोट थी, जिसमें सूजन थी। उक्त चोटें साधारण प्रकृति की होना प्रतीत होती थी। सभी चोटों को ठीक होने में 7-10 दिन का समय लग सकता था। उसने एक्स-रे हेतु जिला चिकित्सालय भेजा था। उक्त आहतगण की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रपी.9 लगायत 18 है जिससे ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

33— साक्षी डॉ० सुनील सिंह अ.सा.10 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि किसी भी थाने से जब किसी आहत को लेकर आरक्षक मुलाहिजा हेतु लाते हैं तो उनका नाम एवं नम्बर मुलाहिजा रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है, उक्त संबंध में मुलाहिजा फार्म में कॉलम भी बना हुआ है, उसने 09 लगायत 18 सभी आहतों के मुलाहिजा फार्म में लाने वाले आरक्षक का उल्लेख नहीं किया है, वह यह नहीं बता सकता कि उक्त दिनांक को उसके पास आहतगण को आरक्षक लखन एवं राजेश के ही द्वारा लाया गया था। साक्षी के कथन अनुसार उस दिन इतनी भीड़ थी कि वह आहतगण का मुलाहिजा ही करते रहा इस कारण उनका उल्लेख नहीं कर पाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने आहत कमलेश, शंकर, रविकुमार, कलेश्वरबाई, बब्लू, भादूलाल को जो चोटें आना बताया है वह कठोर एवं बोथरी वस्तु से आना बताया है, प्र.पी.10, 11, 13, 14, 17, 18 में उसने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आहतगण को उक्त चोटें किस कारण से आयी है इसका उल्लेख स्पष्ट नहीं किया है, पुलिस द्वारा उससे उक्त आहतों को किस चीज से चोट आयी है इस

संबंध में पुलिस ने उससे कोई क्यूरी रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है, कोई चोट किस चीज से आई है इसे ज्ञात करने के लिए क्यूरी रिपोर्ट आवश्यक है, बिना क्यूरी रिपोर्ट के नहीं बताया जा सकता कि उक्त चोट किससे आयी है, कठोर एवं बोथरी वस्तु से कोई व्यक्ति गिरे तो उक्त चोटें आना संभव है।

34— साक्षी डॉ०एम. मेश्राम अ.सा.15 ने कथन किया है कि वह दिनांक 12.06.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक युगल क्रमांक 67 द्वारा आहत श्रीमती गौतरीन को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, परीक्षण में निम्न चोटें पायी गयी। चोट क्र०1—सिर के पीछे दाहिने भाग पर एक कटी-फटी चोट थी। चोट क्र०2—दाहिने कोहिनी पर एक खरोंच थी। चोट क्र०3—बायें पैर के अंगुठे पर एक कटी-फटी चोट थी, महिला बेहोशी की हालत में थी तथा उसके नाक तथा दाहिने कान से खून बह रहा था। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटें किसी कड़े व बोथरी वस्तु के तेज प्रहार से आना प्रतीत होती थी। चोट क्र०2 एवं 03 साधारण प्रकृति की थी, जबकि चोट क्र०1 गंभीर प्रकृति की थी। हेड इंजुरी होना प्रतीत होता था। आहत को सिर के एक्स—रे उपचार तथा अभिमत हेतु विशेषज्ञ जिला अस्पताल बालाघाट को रिफर किया गया था। उक्त सभी चोटें उसके परीक्षण से दो घण्टे पूर्व की थी। चोट क्र०2 व 03 को ठीक होने में आठ से दस दिन का समय लग सकता था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.19 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

35— साक्षी डॉ०एम. मेश्राम अ.सा.15 के अनुसार उक्त दिनांक को उक्त आरक्षक द्वारा आहत गजानन को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, परीक्षण में निम्न चोटें पाई गई। चोट क्रमांक 01— बायें आंख की उपरी पलक पर एक सूजन थी। चोट क्र०2—दाहिनी आंख की उपरी पलक पर एक सूजन थी। चोट क्र०3—माथे पर एक सूजन थी, आहत के नाक से खून बह रहा था, आंख की दोनों पुतलियों फैली हुई थी। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटें किसी कड़े व बोथरी वस्तु के तेज प्रहार द्वारा आना प्रतीत होती थी। चोट क्रमांक 01, 02 एवं 03 गंभीर प्रकृति की हेड इंजुरी होना प्रतीत होती थी। उसे खोपड़ी

के एक्स-रे, उपचार तथा अभिमत हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक जिला चिकित्सालय बालाघाट के पास रिफर किया गया था। उक्त सभी चोटें उसके परीक्षण से दो घण्टे पूर्व की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.20 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को उक्त आरक्षक द्वारा आहत श्रीमती मीना को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। परीक्षण में निम्न चोटें पायी गयी थी। चोट क्रमांक-01 माथे के दाहिने भाग पर एक कटी-फटी चोट थी। चोट क्र02-दाहिने बक्खे पर एक खरौंच थी। चोट क्र03-बाईं कोहनी पर एक सूजन थी। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटें किसी कड़े व बोथरी वस्तु द्वारा आना प्रतीत होती थी। सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी तथा उसके परीक्षण के दो घण्टे पूर्व की थी। जिन्हें ठीक होने में आठ से दस दिन का समय लग सकता था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.21 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

36- साक्षी डॉ0एम. मेश्राम अ.सा.15 के अनुसार उक्त दिनांक को सैनिक दलपत क्रमांक 304 द्वारा आहत भरत को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था परीक्षण में निम्न चोटें पायी गयी। चोट क्र01-सिर के पीछे बाईं ओर एक कटी-फटी चोट थी। चोट क्र02-दांये पैर पर एक सूजन थी। चोट क्र03- आहत के नाक से खून बह रहा था तथा वह उल्टियाँ कर रहा था और बीच-बीच में मूर्छित हो रहा था। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटें किसी कड़े व बोथरी वस्तु के तेज प्रहार द्वारा आना प्रतीत होती थी। चोट क्रमांक 01 व 03 गंभीर प्रकृति की हेड इंजुरी तथा चोट क्र02 में दाहिने पैर की मेटा-टार्सल हड्डी के टूटने की संभावना को देखते हुए उसे एक्स-रे खोपड़ी एवं दाहिने पैर के उपचार तथा अभिमत हेतु अस्थि रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल बालाघाट के समक्ष रिफर किया गया था। उक्त सभी चोटें उसके परीक्षण के दो घण्टे पूर्व की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.22 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरक्षक युगल क्र 67 थाना बिरसा के द्वारा आहत श्रीमती पीरुमबी को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था परीक्षण में निम्न चोटें पायी गई। चोट क्र01- माथे के दाहिने भाग पर एक सूजन थी। चोट क्र02-दाईं आंख की उपरी पलक से लेकर आंख के निचले भाग तक एक

सूजन थी। चोट क03—पीठ के दाहिने भाग पर एक सूजन थी। महिला की दोनों आंखों की पुतलियाँ कुछ फैली हुई थी। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटें किसी कड़े व बोथरी वस्तु के तेज प्रहार द्वारा आना प्रतीत होती थी। चोट क 01 व 02 गंभीर प्रकृति की हेड इंजुरी होना प्रतीत होती थी, जबकि चोट क03 में 09, 10 एवं 11 पसलियों के टूटने की संभावना को देखते हुए उसे उक्त स्थानों के एक्स-रे उपचार तथा अभिमत हेतु अस्थिरोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल बालाघाट के समक्ष रिफर किया गया था। उक्त सभी चोटें उसके परीक्षण के दो घण्टे पूर्व की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.23 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

37— साक्षी डॉ0एम. मेश्राम अ.सा.15 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने सिर्फ पांच आहतगण का परीक्षण किया था, पुलिस मुलाहिजा फार्म लाती है उसमें लाने वाले के नाम का कालम बना रहता है, उक्त कॉलम में उस लाने वाले पुलिसकर्मी का नाम एवं नम्बर लिखा जाता है, बिरसा का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काफी पुराना है किन्तु यह अस्वीकार किया है कि अस्पताल में नर्स एवं अन्य स्टाफ पर्याप्त मात्रा में है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पांच आहतों के अलावा यदि अन्य आहतों को बिरसा अस्पताल में लाया जाता तो वहाँ उनका उपचार संभव था, प्र.पी.19, 22 एवं 23 आहतों को यदि किसी के द्वारा तेज प्रहार से मारा जाये तो उक्त चोटें संभव है, कोई व्यक्ति अगर कड़ी व बोथरी वस्तु से प्रहार करे तो प्र.पी.20 एवं 21 की चोटें आना संभव है, प्र.पी. 19 लगायत 23 की चोटों के संबंध में पुलिस द्वारा उससे क्यूरी रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गयी है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि चोटों का सही कारण जानने के लिए क्यूरी रिपोर्ट आवश्यक है।

38— साक्षी डॉ0वी.पी. समद अ.सा.16 ने कथन किया है कि वह दिनांक 14.06.2011 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में अस्थिरोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने वार्ड में भर्ती आहत भरतलाल की जांच की थी। उसने उसके दाहिने पैर में सूजन तथा दर्द होना पाया था, जिसका उसने ईलाज किया था। दिनांक 15.06.2011 को आहत स्वयं ही अस्पताल से चला

गया था। आहत की इंडोर टिकिट प्र.पी.24 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसी दिनांक को उसने अस्पताल में भर्ती आहत पिरूनबी की जांच की थी, जिसमें वह अपने छाती में दर्द होना बता रही थी। उसने आहत पिरूनबी का ईलाज कर उसी दिन उसे छुट्टी दे दी थी। आहत की इंडोर टिकिट प्र.पी.25 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने परीक्षण में आहतगण को किसी प्रकार की चोट नहीं पाई थी। साक्षी के कथन अनुसार आहत भरतलाल के दाहिने पैर में सूजन थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने आहतगण का परीक्षण किये बिना पुलिस के कहने पर रिपोर्ट तैयार की थी।

39— साक्षी लखन भिमटे अ.सा.11 ने कथन किया है कि वह दिनांक 12.06.2011 को पुलिस थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को ही अपराध क्रमांक 65/11 धारा-279, 337 भा.द0सं0 एवं मो.वही. एक्ट की धारा-112/183(1), 66/192, 184 की केस डायरी प्राप्त होने पर उक्त दिनांक को घटनास्थल पर जाकर प्रार्थी चंद्रपाल राहंगडाले की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी-नक्शा तैयार किया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आहतगण गोतरिनबाई, गजानन, झनक कावरे, कमलेश विनायक, शंकर मरार भागवतीबाई, रविकुमार चौहान, कलेश्वरबाई, इंद्राबाई, गनेशीबाई, बब्लू विनायक, भादू उइके, मीनाबाई, भरतलाल एवं पीरून बी का मुलाहिजा शासकीय अस्पताल बिरसा से करवाया था। दिनांक 12.06.11 को प्रार्थी चंद्रपाल राहंगडाले, खेलसिंह, संभूसिंह एवं दिनांक 23.06.2011 को गवाह कमलेश विनायक, बब्लू विनायक, भादूलाल, झनक कावरे, भरतलाल, भगवतीबाई, गजानन, पीरून बी, शंकरलाल एवं दिनांक 27.06.2011 को गवाह रविकुमार, गोतरिनबाई, मीनाबाई, गनेशीबाई, कलेश्वरबाई, एवं इंद्राबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था।

40— साक्षी लखन भिमटे अ.सा.11 के अनुसार दिनांक 12.06.2011 को घटनास्थल से गवाह चंद्रपाल एवं महेश मरावी के समक्ष पिकअप वाहन एम.पी.

04/जी.ए.3296 क्षतिग्रस्त वाहन को जप्त किया था जो प्र.पी03 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं दिनांक 14.06.2011 को आरोपी तोसिफ खान उर्फ बब्लू निवासी बिरसा के द्वारा वाहन के दस्तावेज पेश करने पर गवाह राधेश्याम एवं तरुण गोखले के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.04 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उन्होंने गवाहों के समक्ष आरोपी तोसिफ खान उर्फ बब्लू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रकरण जमानतीय होने से जमानत मुचलके पर आरोपी तोसिफ उर्फ बब्लू को रिहा किया गया था। दिनांक 18.06.11 को जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण तरुण गोखले से कराया था। मामले में आहत गौतरिनबाई एवं गजानन को गंभीर चोट होने से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा-338 भा.दं0सं0 का ईजाफा किया गया था। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेख नहीं किया था, उसने मौका-नक्शा चंद्रपाल राहंगडाले के बताये अनुसार नहीं बनाया है तथा उसने प्रार्थी से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया है।

41— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा चालित वाहन से कारित दुर्घटना में आहतगण कमलेश, शंकर, रविकुमार, कलेश्वरबाई, बबलू विनायक, भादू उइके, मीना, भरतलाल, पीरूमतीबाई को साधारण उपहति तथा गौतरिनबाई एवं गजानंद को घोर उपहति कारित हुई थी, परंतु अब प्रश्न यह है कि क्या उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी। आहत रविन्द्र अ.सा.14, मीनाबाई अ.सा.12, गौतरिनबाई अ.सा.11 तथा साक्षी खेलसिंह अ.सा.02 के अतिरिक्त अधिकांश आहतगण ने घटना के संबंध में आरोपी की किसी उपेक्षा एवं उतावलेपन को प्रकट नहीं किया है। उक्त साक्षीगण ने भी घटना के संबंध में आरोपी की किसी विशिष्ट उपेक्षा अथवा उतावलेपन को प्रकट नहीं किया है।

42— तथापि मात्र उक्त आधार पर संपूर्ण प्रकरण को खारिज नहीं किया जा सकता। प्रकरण में वाहन परीक्षणकर्ता तरुण अ.सा.19 ने अपनी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.28 तथा न्यायालयीन साक्ष्य में व्यक्त किया है कि उसने परीक्षण में वाहन का इंजन सीज़ तथा स्टेरिंग फ्री पाया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा परीक्षित दुर्घटनाग्रस्त वाहन स्टेरिंग फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया था और इंजन सीज़ होने के कारण ब्रेक ने भी कार्य करना बंद कर दिया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है और ना ही उसकी साक्ष्य को किसी प्रकार की कोई चुनौती दी गई है, जिससे उसकी साक्ष्य अभियोजन पर बंधनकारी है। अब यदि अन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की उपेक्षा तथा उतावलेपन का निष्कर्ष निकाला जा सकता हो तो मात्र उक्त साक्षी की साक्ष्य से भी यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दिया जा सकता है कि घटना संभवतः विशुद्ध दुर्घटना हो।

43— भारतीय दण्ड संहिता की धारा-80 दुर्घटना या दुर्भाग्य अथवा अपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हुए अकल्पित दुष्परिणाम को छूट प्रदान करती है। वर्तमान प्रकरण में साक्षी तरुण अ.सा.19 की साक्ष्य और परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.28 से यह समुचित रूप से निष्कर्ष दिया जा सकता है कि घटना मात्र एक दुर्घटना थी, जिसमें अभियुक्त की कोई उपेक्षा अथवा उतावलापन सम्मिलित नहीं था। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत महादेव विरुद्ध म0प्र0 राज्य सी.आर.एल.जे.4246 अवलोकनीय है। फलतः अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया गया तथा आहतगण कमलेश, शंकर, रविकुमार, कलेश्वरबाई, बबलू विनायक, भादू उइके, मीना, भरतलाल, पीरूमतीबाई को साधारण उपहति एवं गौतरिनबाई एवं गजानंद को घोर उपहति कारित किया।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 04 का निष्कर्ष:-

44— पूर्व विवेचना से दर्शित है कि घटना के समय आरोपी वाहन चला

रहा था, परंतु वाहन को बिना परमिट के चलाये जाने के संबंध में प्रकरण में लेशमात्र भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसी भी साक्षी ने उक्त संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध कोई विपरीत उपधारणा नहीं की जा सकती।

45— अतः अभियुक्त को भा.द0सं0 की धारा-279, 337, 338 एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-66/192 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

46— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

47— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक एम.पी.04/जी.ए.-3296 पिकअप वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

48— अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा-428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)